

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

104 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

09.12.2021

18.02..2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री महेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामराय विजयवर्गीय विक्रेता मैसर्स रमेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के पास दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी-127 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0

2-श्री रमेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामराय विजयवर्गीय प्रोपरायटर मैसर्स रमेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के पास दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी-127 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (v) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011



उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।


2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 18.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2021 को समय 5.21 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रमेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के पास दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री महेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामराय विजयवर्गीय विक्रेता मैसर्स रमेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के पास दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी-127 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का  पर करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा  परिचय




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया, जिसमें प्रोपरायटर श्री रमेश विजयवर्गीय को होना बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में 7-8 किलोग्राम एक स्टील की केन में रिफाईंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री महेश विजयवर्गीय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेश विजयवर्गीय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


आवेदक द्वारा दुकान में 7-8 किलोग्राम एक स्टील की केन में रिफाईंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) रखे हुये में से 1600 ग्राम एक स्टील के जग में बॉट मापक से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री महेश विजयवर्गीय को ₹0 240/- अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाईंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) खरीदशुदा 1600 गाम को अलग-अलग 400-400 ग्राम बॉट मापक से तुलवाकर प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियो में बराबर-बराबर भरकर शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2935 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2935 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. महेश विजयवर्गीय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3092 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/1168/एक्ट/2021/1149 दिनांक 08.10.2021 अनुसार महेश विजयवर्गीय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का रिफाइंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइंड सोयाबीन तेल खुला (Refined Soyabean Oil Loose) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामराय विजयवर्गीय विक्रेता मैसर्स रमेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के पास दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज० निवासी डी-127 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज० पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू०) अप्रार्थी श्री रमेश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामराय विजयवर्गीय प्रोपरायटर मैसर्स रमेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर श्याम मन्दिर के पास दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज० निवासी डी-127 दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज० पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



52/82-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक-राज0